

07/5/25 पत्रावली पेश हुई तभील अप्रार्थीगण अप्रार्थीगण
आपसीगण का 02 दू गरीबों का नाम लिखना
अनुपस्थित आप्रार्थी होने 1 व 2 के विरुद्ध
उन तरफ का कपताही की जाती है ताकि
- 01 दल 1-2 हेठ कपताही दिनांक 14/5/25
की केश ही

अधीन ही
जयपुर असाय (सांगानेर)

14/5/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली सा
अन्य राज्य कार्य में पत्रावली
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/5/25
का पेश हों।

22/5/25 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण अप्रार्थीगण
अप्रीगण की केश सुकीमणी केश
अधीगण ने अपनी केश में अप्रार्थीगण के अहित
तथ्यों को दोहराते हुए - आशय धारा 212
अध्याय निषेधाज्ञा की ता-फैसल का तथ्य
Absolute किन वगैरे हेतु निषेधाज्ञा की
पत्रावली, राजस्थान सरकार के अप्रार्थीगण के
व सुकीमणी अप्रार्थीगण की केश का मतलब
पर एक केश कि केश पर एड्रेस है अप्रार्थीगण
अधीगण संवत् 2074-2077 के केश सं. 126
का केश केशकाल में दिनांक 1/27 के केशका
काशतकार है अतः इसी आशय का केश
अध्याय निषेधाज्ञा 130 6/3/25 को ता-फैसल
दावा स्वामी (Absolute) किन वगैरे (पत्रावली)
मन्वा में केश को केश तकनीक का केश केश
ही (पत्रावली) केशका: वादगत आशय पर
अधीगण का केश की केशका कि केशका
रुले हेतु ता-फैसल पावत स्वामी निषेधाज्ञा
से पावत किन वगैरे पत्रावली मन्वा कि
केश को केश तकनीक का केश केशका ही
(पत्रावली)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Read
22/5/25



अधीन ही उपखण्ड अधिकारी जयपुर
द्वितीय (सांगानेर)।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या :- 51/2025

रामकरण पुत्र बंदी जाति जाट
निवासी ग्राम केशवावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....प्रार्थी/वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्रवण जाति जाट
2. देवा पुत्र गणेश जाति जाट
3. बालूराम पुत्र बंदी जाति जाट
4. राजाराम पुत्र श्रवण जाति जाट
5. रामप्यारी पत्नी स्व0 छोटू जाति जाट
6. रामलाल पुत्र छोटू जाति जाट
7. विमला पुत्री छोटू जाति जाट
8. हजारीलाल पुत्र श्रवण जाति जाट
निवासीगण ग्राम केशवावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर
पता तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।
10. उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय
पता:- तहसील कार्यालय सांगानेर, जयपुर।
11. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक
पता- शाखा मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान
काशतकारी अधिनियम 1955, व आदेश 39 नियम 1 सपठित
धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

श्रीमान् जी,

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निम्न प्रक
प्रस्तुत है :-

